प्रेस विज्ञप्ति

बर्ड फ्लू रोग की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय

देश के विभिन्न राज्यों के पक्षियों में वर्ड फ्लू रोग के कारण अधिक मात्रा में हो रही मृत्यु तथा रोग के पक्षियों से मानव में संक्रमण की संभावना के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में वर्ड फ्लू रोग की रोकथाम हेतु निम्न प्रकार सुरक्षात्मक उपया किये जाने आवश्यक हैः-

1. विदेशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों से इस रोग के संक्रमण की आशंका व्यक्त की जा रही है। अतः
   1) प्रवासी पक्षियों से दूरी बनायी जाये।
   2) प्रवासी पक्षियों से अपने पक्षियों को दूर रखा जाये।
   3) प्रवासी पक्षियों का शिकार न किया जाये।
   4) कुक्कुट फार्म पर स्थित ऐसे वृक्षों की छटांई कर दी जाये जहां अन्य पक्षी बैठतें है।
   5) कुक्कुट फार्म पर अनावश्यक रूप से बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया जाये।
   6) कुक्कुट फार्म पर प्रवेश करने से पूर्व जूते व चप्पलों को फिनायल से साफ कर लें।
   7) फार्म पर स्वच्छता रखी जाये।
   8) वाहनों का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दिया जाये।
2. बर्ड फ्लू रोग से संक्रमित क्षेत्रों अथवा राज्यों से कुक्कुट पक्षी एवं अण्डों का आयात न किया जाय।यदि पूर्व के समझौतों से ऐसे आयात किये जा रहे है तो यह सुनिश्चित कर लें कि आयातित किये जाने वाले स्थान में तीन माह पूर्व बर्ड फ्लू के लक्षणों वाली कोई बीमारी नहीं हुई है।
3. बीमारी फैलने पर सभी कुक्कुट फार्म व प्रजनन फार्म पक्षी व चूजों का आयात/निर्यात बन्द कर दें।
4. कुक्कुट फामों में निर्धारित मानकों, नियमों व स्वच्छता का कडाई से पालन किया जाये। कर्मचारियों/ सामग्री तथा वाहनों को कीटाणु मुक्त करने के पश्चात ही फार्मो के अन्दर प्रवेश दिया जाये।
5. सभी फार्म कार्मिकों को स्वच्छ सुरक्षात्मक पोशाक, गमबूट, दस्तानें तथा मास्क उपलब्ध कराये जाये।
6. कुक्कुट फार्म के अन्दर बाहरी व्यक्तियों/दर्शकों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया जाये।
7. कुक्कुटों को स्वस्थ्य व निरोगी रखने के लिये सभी संभव प्रयास जैसे टीकाकरण, पारजीविक दवापान, मिनरल्स व विटामिन्स मिश्रण का प्रयोग आवश्यक है।
8. कुक्कुट में संक्रामक रोग पर नियंत्रण के लिये कडे सुरक्षात्मक उपाय, साफ-सफाई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाये।
9. कुक्कुट के पंख त्वचा मांस, हडडी, खाद तथा अन्य अनुपयोगी अंगों का निस्तारण कीटाणुयुक्त दवाओं से उपचार करने के उपरान्त गहरे गडढे में दबाकर करें।
10. एक कुक्कुट बाडे की वस्तुएं व कर्मचारी दूसरे कुक्कुट बाडे में संक्रमण मुक्त ह ंने के पश्चात ही जाये।
11. सभी कुक्कुट फार्म प्रतिदिन पक्षियों की जांच कर संदेहास्पद मामलों को पशुपालन विभाग को तत्काल सूचित करें।
12. कुक्कुट में अप्रत्याशित मृत्यूदर गर्दन का झुकना, लडखडा कर चलना, दस्त आना जैसे लक्षण दिखने पर स्वस्थ्य कुक्कुट से अलग किया जाये।
13. बीमारी के लक्षण दिखने पर फार्म से अण्डों एवं अन्य उत्पादों का क्रय विक्रय बन्द कर दिया जाय । यह प्रक्रिया बीमारी के अन्तिम लक्षण दिखने के 30 दिन बाद भी लागू रहेगी।

14. अत्यधिक पक्षियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर पशुपालन विभाग के निकटस्थ संस्था पर सूचित किया जाय या विभागीय टौल फ्री नम्बर-18001208862 अथवा निदेशालय स्थित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या-0135-2532809 पर सूचना दी जाय।
15. उत्तराखण्ड राज्य में बर्ड फ्लू की जाचं हेतु नियमित रूप से सैम्पल भेजे जा रहे हैं तथा अभी तक उत्तराखण्ड राज्य में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया है।

यदि उपरोक्त सावधानियों बरती जाये तों कुक्कुट में सक्रमण की कोई सम्भावना नहीं होगी । प्रवासी पक्षियों के ठहरने के स्थानों पर वन विभाग व पशुपालन विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है । यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि बर्ड फलू रोग का विषाणु गर्म होने पर निष्क्रिय होता है । अतः पका कुक्कुट मांस सेवन हेतु सुरक्षित है।

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड